संख्या-56/2025/आई/1007793/2025/23-2099(099)/234/2024

प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 27 जून,2025**

विषय:-जनपद बाराबंकी में इटौंजा-महोना-कुम्हरावा-कुर्सी-देवां-चिनहट मार्ग (प्र०जि०मा०-88सी) लम्बाई 27.35 किमी0 का आगणन चैनेज 18.500 से 45.850 तक 02 लेन से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 23 किमी0 एवं 45 किमी0 पर शारदा नहर पर 04 (02 x 02) लेन सेतुओं के निर्माण कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 28.05.2025 को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-185 कैम्प-प्र0अ0 विकास/07 प्र0स0/25, दिनांक 12.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-369/प्र0नि0-शिविर/2025, दिनांक 19.05.2025 के क्रम में सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या-48/2025/आई/975492/2025/23-2099(099)/234/2024, दिनांक 28.05.2025 द्वारा जनपद बाराबंकी में इंटौजा महोना-कुम्हरावा-कुर्सी-देवां-चिनहट मार्ग (प्र०जि0मा0-88सी) के चैनेज 18.500 से चैनेज 45.850 में 02 लेन से 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-40/2025/आई/960322/2025/001-23-2099(099)/234/2024, दिनांक 13.05.2025 में संशोधन कराते हुए किमी0 23 एवं किमी0 45 पर शारदा नहर पर 04 (02 x 02) लेन सेतुओं के निर्माण कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया।

3- उक्त के संबंध में उपर्युक्त शासनादेश संख्या-48/2025/आई/975492/2025/23-2099(099)/234/2024, दिनांक 28.05.2025 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 12.06.2025 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत जनपद बाराबंकी में इंटौजा महोना-कुम्हरावा-कुर्सी-देवां-चिनहट मार्ग (प्र०जि0मा0-88सी) के चैनेज 18.500 से चैनेज 45.850 में 02 लेन से 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के संबंध में किमी0 23 एवं किमी0 45 पर शारदा नहर पर 04 (02 x 02) लेन सेतुओं के निर्माण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को नामित किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-40/2025/आई/960322/2025/001-23-2099(099)/234/2024, दिनांक 13.05.2025 का क्रियान्वयन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी।
13- उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई-1, लखनऊ।
14- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
15- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
16- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजना/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
17- लोक निर्माण अनुभाग-1/6/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
18- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रिपुंजय गुप्ता
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।